संख्या:61/2025/466/35-4-2025/35-4099/43/2025 पार्ट-3

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 अप्रैल,2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-वाराणसी में निम्नलिखित कार्यों की रू. **1874.20** लाख (रूपये अट्ठारह करोड चौहत्तर लाख बीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1.	वार्ड संख्या 9 शिवपुरी मोहल्ला कादीपुर में पप्पू श्रीवास्तव से लेकर शि0 16 / 61 तक तथा रामाश्रय सिंह से मकान नंबर शि 16/ 58 - ए - 2 संजय पाल तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य	352.00	8.33	8.33
2.	वार्ड स० 9 शिवपुर मो0 कादीपुर जय दुर्गा नगर कालोनी में म० न० शि 16 / 109 - k - 1 कन्हैया लाल श्रीवास्तव के मकान के आसपास इंटरलाकिंग लगाने का कार्य।	100.00	6.38	6.38
3.	वार्ड स० 11 हुकुलगंज में त्रिभुवन गुप्ता से एस-10/32-K-1ख जुली खरवार आवास होते हुए नीलम आवास तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	93.00	9.99	9.99
4.	वार्ड सं0-14 गणेशपुर अन्तर्गत गणपति निशान/डैटसन कार ऐजेन्सी के पूरब की रोड जिसमें लगभग 200 मी0 रोड बनवासी छात्रावास शेष लगभग 500 मी0 से 700 मी0 की रोड़ वनवासी छात्रावास से दन्द्रसेन सिंह के घर से होते हुए श्री बाबू जायसवाल के गेट तक इण्टरलाकिग का कार्य।	1055.00	224.75	224.75
5.	वार्ड सं० 15 राजघाट अन्तर्गत मो० कज्जाकपुरा मोहल्ले के आन्तरिक सड़कों /गलियों में स्मार्ट चौका लगाने का कार्य।	1220.00	66.08	66.08
6.	वार्ड संख्या 16 सरसौली अंतर्गत नवलपुर में बनवारी लाल विश्वकर्मा के मकान से प्रमोद कुमार सिंह तक व शांति मिश्रा के मकान होते हुए डॉक्टर पीके के मकान तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	100.00	9.06	9.06
7.	वार्ड संख्या 62 डीठोरी महाल अंतर्गत टैगोर टाउन कॉलोनी मारकंडेय सिंह के मकान से डॉक्टर विनोद सिंह के मकान तक के0सी0 नाली एवं इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	61.00	8.92	8.92
8.	वार्ड स० 16 सरसौली अंतर्गत सरसौली पांचकोशी मार्ग पर म0 न0 एस 25 / 221 - 4-A-2 के बाबू लाल सोनकर के मकान से म0न0 एस 25 / 221 - 4 - पी -3 -A महेन्द्र प्रताप तक इंटरलाकिंग लगाने का कार्य।	55.00	2.31	2.31
9.	वार्ड स० 18 नईबस्ती में भवन सं0 एस 9/420 व 9/425-ए से भीष्म पितामह प्रजापति आवास होते हुए एस.9/426 स्व0 लक्ष्मी नारायण पाल तक जलनिकासी व इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	132.00	7.66	7.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
10.	वार्ड स० 18 नईबस्ती अंतर्गत दौलतपुर केशव बिहार कालोनी में श्री राम टॉप कलेक्शन से सा 1/79-सी-के-2 एवं पुष्पा सिटी स्कूल होते हुए सा 4/79 तक सड़क सुधार कार्य।	274.00	8.93	8.93
11.	वार्ड सं0 19 कंदवा में अनिल नगर कालोनी में पंकज कुमार सिंह के घर से संजय कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 रोड कार्य।	100.00	18.04	18.04
12.	वार्ड स० 20 लोढ़ान अंतर्गत दान्दुपुर में नागा बाबा मंदिर से साईं उपवन तक इंटरलाकिंग का कार्य।	707.00	62.54	62.54
13.	वार्ड सं0 26 नेवादा अन्तर्गत राजेन्द्र विहार कालोनी लेन नं0 6 में रोड, नाली एवं पटरी का निर्माण कार्य।	560.00	49.25	49.25
14.	वार्ड सं0 26 नेवादा अन्तर्गत इन्द्रा नगर कालोनी श्री जगदीश सिंह के मकान से श्री भईया लाल यादव के मकान से श्रीमती संगीता देवी एवं श्री राजेन्द्र पटेल के मकान तक रोड, नाली एवं पटरी का निर्माण कार्य।	1160.00	117.24	117.24
15.	वार्ड सं0 28 सरायनन्दन अन्तर्गत तेलियाना मार्ग पर जे0पी0 नर्सिंग होम से तेलियाना तक रोड, नाली एवं पटरी का निर्माण कार्य।	900.00	75.31	75.31
16.	वार्ड स० 31 नारायणपुर मो० कठवतियाँ में राकेश सोनकर (आलू जय) से केवला देवी होते हुए राकेश प्रजापति के मकान तक इंटरलाकिंग लगाने का कार्य।	204.00	14.07	14.07
17.	वार्ड स० 31 नारायणपुर मो० लक्षमणपुर में छंगुर पाल से म० न० शि0 5 / 151-8 अजय सिंह ,धरमु पटेल , योगेश सिंह होते हुए बद्री पाल तक इंटरलाकिंग लगाने का कार्य।	149.00	9.27	9.27
18.	वार्ड न० 37 दानियालपुर अंतर्गत सोनातालाब नगर कालोनी में माधुरी जायसवाल से सचिन जायसवाल के घर होते हुए उर्मिला देवी के घर तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	80.00	3.29	3.29
19.	वार्ड संख्या 37 दानियलपुर अंतर्गत पुराना पुल मुख्य मार्ग बबन मौर्या सा० 22/3 बी -5 से त्रिलोकी जायसवाल के घर होते हुए श्री निवास जायसवाल के घर तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	-	7.94	7.94
20.	वार्ड सं0 38 ककरमत्ता अन्तर्गत रूद्र नगर कालोनी पहाड़ी में निसार वाया अशरफ के मकान से यादव जनरल स्टोर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	400.00	81.37	81.37
21.	वार्ड सं0 38 ककरमत्ता अन्तर्गत रूद्र नगर कालोनी पहाड़ी में खुर्शीद से कयूम तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	125.00	25.63	25.63
22.	वार्ड सं0 38 ककरमत्ता अन्तर्गत रूद्र नगर कालोनी पहाड़ी में सत्तार से इमरान के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	75.00	15.37	15.37
23.	वार्ड सं0 39 सुसुवाही मनोरथपुरी कालोनी में बेतल जी के मकान से अमरेन्द्र वकील और पप्पू सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	355.00	40.45	40.45
24.	वार्ड सं0 39 सुसुवाही महादेव नगर कालोनी में रोड से नुआव बार्डर तक रोड का निर्माण कार्य।	645.00	56.31	56.31
25.	वार्ड सं0 39 सुसुवाही कबीर वाटिका से बाईपास में रोड तक और कबीर नगर कालोनी तक रोड का निर्माण कार्य।	1025.00	112.83	112.83
26.	वार्ड सं0 39 सुसुवाही नुवांव दलित बस्ती में रोड निर्माण कार्य।	867.00	32.14	32.14
27.	वार्ड सं0 39 सुसुवाही में रोड से राकेश पाण्डेय के मकान तक रोड निर्माण कार्य।	300.00	33.91	33.91
28.	वार्ड सं0 39 सुसुवाही में सत्संग विहार कालोनी में इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	425.00	46.32	46.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
29.	वार्ड सं0 39 सुसुवाही में कौशलपुरी कालोनी में शिव मंदिर से महात्मा सिंह के मकान से होते हुये वर्मा वकील साहब और शिव मंदिर के पीछे पाण्डेय जी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	335.00	38.88	38.88
30.	वार्ड स० 41 अकथा अंतर्गत पैगम्बरपुर में अर्चना जयसवाल से हीरा विश्वकर्मा के मकान तक कच्चे रास्ते पर इंटर लाकिंग व सी0 सी0 ब्लाक नाली लगानें का कार्य।	71.00	7.16	7.16
31.	वार्ड स० 41 अकथा अंतर्गत श्री नगर कॉलोनी फेस-2 लवली पिच के पास रणधीर सिंह से जितेन्द्र तक कच्ची गली में इंटरलाकिंग लगानें का कार्य।	170.00	14.68	14.68
32.	वार्ड स० 41 अकथा अंतर्गत पैगम्बरपुर में पंचकोशी रोड स्थित नंदलाल सोनकर से लल्लू आवास होते हुए मखंचू आवास तक कच्ची गली में इंटर लाकिंग व सी0 सी0 ब्लाक नाली लगानें का कार्य।	98.00	7.95	7.95
33.	वार्ड स० 41 अकथा में अकथा गाँव से सा0 6/12-2-A-2-1 ईश्वर चन्द्र देव के आवास होते हुए सा0 6/207-ख तक इंटर लाकिंग व सी0 सी0 ब्लाक नाली लगानें का कार्य।	58.00	3.04	3.04
34.	वार्ड न० 44 सारनाथ अंतर्गत परशुरामपुर प्राथमिक विद्यालय के बगल से आर० के० मौर्या सा० 8/74 -R -S से कुमकुराय के घर होते हुए बिन्दुमती राय के घर तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	100.00	5.69	5.69
35.	वार्ड न० 44 सारनाथ घुरहूपुर म०न० सा० 9/27-1 से कलावती देवी के मकान तक 100 मीटर इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	100.00	6.39	6.39
36.	वार्ड न० 44 सारनाथ अंतर्गत परशुरामपुर में श्री बच्चे लाल जी के घर होते हुए श्रीमती ज्ञान्तीराय सा० 8/62 G -1 तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	100.00	8.00	8.00
37.	वार्ड न० 44 सारनाथ अंतर्गत परशुरामपुर गली में कन्हैया राम सा० 8/8 -ख से यादव जी के घर होते हुए वी० के० श्रीवास्तव के घर तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	150.00	9.36	9.36
38.	वार्ड न० 44 सारनाथ अंतर्गत बुद्ध नगर कालोनी में श्यामदेव यादव के घर से प्रधान जी के घर होते हुए सद्गुरु 8/ 34 तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	100.00	6.81	6.81
39.	वार्ड न० 44 सारनाथ अंतर्गत परशुरामपुर बेला रोड के समीप राज इंग्लिश स्कूल के पीछे बने कालोनी में गप्पू श्रीवास्तव के घर से कृष्णमोहन श्रीवास्तव के घर तक इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य।	200.00	12.06	12.06
40.	वार्ड सं0 57 छित्तुपुर खास में बी0एच0यू0 बाउण्ड्रीवाल के सामने हरिजन बस्ती से बैष्णोनगर कालोनी तक जल निकासी एवं सड़क निर्माण कार्य।	900.00	278.16	278.16
41.	वार्ड स० 59 रमरेपुर अंतर्गत गिरी नगर कॉलोनी में बहादुर पटेल आवास से मुन्ना यादव होते हुए सा 5/159-D-21 तक चौका की जगह इंटरलॉकिंग व सी0 सी0 ब्लाक नाली निर्माण कार्य।	279.00	15.73	15.73
42.	वार्ड स० 59 रमरेपुर अंतर्गत अनौला बस्ती में हनुमान जी मंदिर, सदानंद मौर्या के मकान से होते हुए मनीष मौर्या के मकान तक कच्चे रास्ते पर इंटरलॉकिंग का कार्य।	291.00	21.02	21.02
43.	वार्ड सं० 67 हनुमान फाटक अन्तर्गत मो० हनुमान फाटक मोहल्ला के आन्तरिक सड़कों /गलियों में स्मार्ट चौका लगाने का कार्य।	1125.00	60.64	60.64
44.	वार्ड सं० 68 कोनिया में मो० कोनिया घाट, विजयीपुर, ड्रीम इण्डिया स्कूल आदि मोहल्लो के आन्तरिक सड़कों /गलियों में स्मार्ट चौका लगाने का कार्य।	1350.00	76.53	76.53
45.	वार्ड सं० 72 घसियारी टोला अन्तर्गत मो० भारद्वाज टोला, व दीवानगंज मोहल्लों के आन्तरिक सड़कों / गलियों में स्मार्ट चौका लगाने का कार्य।	850.00	66.86	66.86

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
46.	वार्ड सं० 93 बागेश्वरी देवी अन्तर्गत मो० शेषमन बाजार, बागेश्वरी देवी व गोपाल बाड़ा के आन्तरिक सड़कों / गलियों में स्मार्ट चौका व के.सी .नाली लगाने का कार्य।	1080.00	81.55	81.55
	योग	**18876.00**	**1874.20**	**1874.20**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

14. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

23. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

25. प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

26. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्तधन राशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 18,74,20,000/-(रूपये अट्ठारह करोड चौहत्तर लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370302- **शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए** एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:61/2025/466(1)/35-4-2025/35-4099/43/2025 पार्ट-3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।